



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2803]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

No. 2803]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

का.आ. 3204(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
54	716	तमिलनाडु राज्य में चेन्नै के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर तिरुथानी और आंध्र प्रदेश राज्य में रेनूगुंटा, ममनदुरु, सेट्टीगुंटा, कोडुरु, पुल्लमपेटा, राजमपेटा, नंदालुर, मधावरम, वोनीमिट्टा, भाकरापेट, कडापा (कुडुप्पा), कौरुनीपल्ली, वेल्लोर, थापेटला, कोथापल्ली, चिडीपिराला, पांडिलापल्ली, तिपारुलु, येरागुंटा, निडिजिब्बे, चिल्लमाकुरु को जोड़ते हुए मुड्डानुरु के निकट रारा-67 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-14012/20/2016-पी एण्ड एम (पार्ट-4)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड बी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या 2867, दिनांकित 1 सितंबर, 2017 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2017

**S.O. 3204(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely: —

In the Schedule, for serial number 54 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely: —

**TABLE**

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
54	716	The highway starting from its junction with NH No. 16 near Chennai connecting Tiruttani in the State of Tamil Nadu, Reniguta, Mamanduru, Settigunta, Koduru, Pullampeta, Rajampet, Nandalur, Madhavaram, Vonimitta, Bhakarapet, Kadapa (Cuddapah), Kuarunipalli, Vellore, Thapetla, Kothapalli, Chidipirala, Pandillapalle, Thiparulu, Yeraguntla, Nidizivve, Chillamakuru , and terminating at its junction with NH-67 near Muddanuru in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/20 /2016-P&amp;M(Pt-4)]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;B)

**Footnote :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended *vide* notification no. 2867 dated 1<sup>st</sup> September, 2017